COVID-19

डाक/ईमेल/अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:एफ 17(26)खा.वि./न्याय/72—III जयपुर, दिनांक : 29.03.2020

समस्त,
जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः— प्रदेश में लॉकडाउन अवधि में दाल की व्यवस्था उपलब्धता के संबंध में।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा **COVID-19** (कोरोना वायरस) को पेनडेमिक घोषित किया जा चुका है। प्रदेश में **COVID-19** (कोरोना वायरस) के कारण लॉकडाउन की स्थिति में कमजोर तबके, निराश्रित, जरूरतमन्दों को निःशुल्क दालें उपलब्ध कराने की व्यवस्था के दिशा—निर्देश जारी किये जा चुके है।

कतिपय जिला कलक्टर्स द्वारा उनके जिले में दाल की उपलब्धता नहीं बतायी है, इस कारण आने वाले लॉकडाउन के समय में और कमी होने की संभावना रहेगी। इसके फलस्वरूप दाल की कालाबाजारी तथा दरें बढने की संभावना भी रहेगी। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नैफेड) से निर्धारित दर पर राज्य के सभी जिलों में उनके गोदामों से भुगतान के आधार पर दालें उपलब्ध करा सकता है।

अतः राज्य सरकार से Untied Fund के तहत दी गई राशि से अपनी आवश्यकता के अनुसार नैफेड से दालें क्रय कर अपने जिले के होलसेलर्स, दाल मिल मालिकों को नैफेड से प्राप्त लागत मूल्य पर उपलब्ध करावें। यह प्रक्रिया जिला कलक्टर एवं नैफेड के मध्य ही होगी। नैफेड सीधे किसी होलसेलर और दाल मिल मालिकों को दाल उपलब्ध नहीं करायेगा।

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव